



PM-KISAN Scheme: कसिानों की कतिनी मददगार होगी यह योजना?

संदर्भ

1 फरवरी को पेश किये गए केंद्रीय अंतरिम बजट में देश के कसिानों को आर्थिक मदद देने के लिये प्रधानमंत्री कसिान सम्मान नधि योजना (PM-KISAN Scheme) की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कुछ नरिधारति शरतें पूरा करने वाले कसिानों को 1 दसिंबर, 2018 से सालाना एक नशिचति रकम यानी 6,000 रुपए तीन समान कसितों में देने का प्रावधान कया गया है। यह भारत सरकार द्वारा लघु और सीमांत कसिानों को सहायता प्रदान करने की अब तक की सबसे बड़ी योजना है।

खास क्या है इस योजना में?

- इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक भूमा वाले छोटी जोत वाले कसिान परिवारों को 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- यह आय सहायता 2,000 रुपए की तीन समान कसितों में लाभान्वति कसिानों के बैंक खातों में सीधे ही हस्तांतरति कर दी जाएगी।
- इस योजना का वतितपोषण भारत सरकार द्वारा कया जाएगा और इससे लगभग 12 करोड़ छोटे और सीमांत कसिान परिवारों के लाभान्वति होने की उम्मीद है।
- यह योजना 1 दसिंबर, 2018 से लागू की जा रही है और 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिये पहली कसित का इसी वर्ष के दौरान भुगतान कर दया जाएगा।
- इस योजना पर 75 हजार करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय आएगा।
- यदपति-पतनी और बच्चों की जमीन मलाकर दो हेक्टेयर से अधिक हो जाती है तो ऐसे कसिान लघु सीमांत की श्रेणी में नहीं आएंगे।
- यदपति-पतनी या पति सरकारी नौकरी में है या पेंशनर है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मलैगा।

पक्ष: कसिानों की सहायता करना है उद्देश्य

इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमरिखने वाले कसिानों को 6,000 रुपए दयि जाएंगे। ऐसा इसलिये कया गया है क्योकि सरकार का यह मानना है क कसिान के पास जतिनी कम जमीन होगी, उसे वतित्तीय सहायता की आवश्यकता उत्तनी ही अधिक होगी।

यह एक केंद्रीय योजना है जिसका वतितपोषण पूरी तरह भारत सरकार द्वारा कया जाएगा। इस योजना के लिये दशिा-नरिदेश जारी कर दयि गए हैं। सरकार ने योजना के प्रबंधन के लिये एक पोर्टल (<http://pmkisan.nic.in>) वकिसति कया है। राज्यों को लाभार्थियों का डेटा इस पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद कृषि और कसिान कल्याण मंत्रालय द्वारा लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरति कर दी जाएगी। यह राशि सरकार द्वारा जारी कयि जाने के 48 घंटे के भीतर लाभार्थी के खाते में जमा कर दी जाएगी। पहली कसित इसी माह पात्र (Eligible) कसिानों के खातों में आ जाएगी।

कसिानों की दशा सुधारने के लिये सरकार द्वारा कयि गए अन्य उपाय

- 2018-19 के बजट में सरकार ने सभी अधसिूचति वस्तुओं के लिये **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)** उत्पादन की लागत का 1.5 गुना तय कया है।
- कसिानों को उनकी लागत का मूल्य सुनशिचति करने के लिये पछिले साल **प्रधानमंत्री अन्नदाता आय अभियान** की शुरुआत की गई थी।
- दालों और तलिहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये बदलाव कयि गए हैं।
- 2016 में सरकार द्वारा कसिानों को सभी जोखिमों से बीमा प्रदान करने के लिये **प्रधानमंत्री बीमा योजना** की शुरुआत की गई।

इनके मद्देनजर कसिानों के कल्याण के व्यापक परिपेक्ष्य में प्रधानमंत्री कसिान सम्मान नधि योजना का महत्त्व खुद-ब-खुद स्पष्ट हो जाता है। गौर से देखा जाए तो 500 रुपए प्रतिमाह कसिानों के लिये बहुत छोटी राशि नहीं है। गरीब कसिान इस पैसे से ज़रूरी उपयोग की वस्तुएँ खरीद सकता है, स्कूल जाने वाले बच्चों की फीस आर्दा का भुगतान कया जा सकता है तथा तात्कालिक आवश्यकता वाले छोटे-मोटे काम इस पैसे से कयि जा सकते हैं।

संस्थागत ऋण के दायरे में लाया जा रहा किसानों को

- पछिले तीन वर्षों में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन इस बात का सूचक है कि किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला पाता।
- खासकर ऐसी फसलों की पर्याप्त कीमत किसानों को नहीं मिल पाती, जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय नहीं किया जाता।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लगातार गिरती कीमतों तथा व्यापार की प्रतिकूल शर्तों की वजह से भी कुछ फसलों की कीमत का लागत मूल्य तक किसानों को नहीं मिल पाता।
- एक अन्य बात यह है कि सरकार सभी किसानों को संस्थागत ऋण के दायरे में लाने की कोशिश कर रही है।
- छह करोड़ से अधिक किसानों को **किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card-KCC)** देने का लक्ष्य रखा गया है।
- राज्यों और बैंकों को इसके लिये दिशा-निर्देश जारी कर किसानों द्वारा आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर KCC जारी करने को कहा गया है।

यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि छोटे और सीमांत किसानों की औसत वार्षिक आय अन्य किसानों की औसत आय से कम है। छोटे और सीमांत किसानों को PM-KISAN योजना के माध्यम से दिया जा रहा लाभ सुनिश्चिति पूरक आय प्रदान करेगा और उनके आकस्मिक, खासकर फसल के तुरंत बाद के खर्चों को पूरा करेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि यह योजना टिकारू भी है और इससे छोटे एवं सीमांत किसानों का विश्वास बढ़ेगा।

वपिकष: ऊँट के मुँह में जीरे जैसी है यह राशि

- भारत में कृषि का संकट वास्तविक है और यह लंबे समय से चला आ रहा है।
- यह संकट किसी एक सरकार के कार्यकाल में नहीं बना है, बल्कि लगभग सभी सरकारों द्वारा किसानों की अनदेखी करने का परिणाम है।

यह उन नीतियों का परिणाम है, जो पछिले कई दशकों से लगातार चली आ रही हैं। देखा यह गया है कि किसानों की दुर्दशा पर आँसू बहाने वाला कोई नहीं है, जबकि व्यापार और उद्योग में आने वाली अड़चनों के समाधान के लिये आकाश-पाताल एक कर दिया जाता है। खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों पर आवाज उठाने वाला कोई नहीं है और न ही इसके लिये कोई लॉबी काम करती है।

किसानों के लिये विकास के कोई मायने नहीं

- दरअसल, किसानों पर सरकार की यह कृपादृष्टि अचानक इसलिये हुई है क्योंकि 2018 के अंत में पाँच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से तीन बड़े हृदि भाषी राज्यों में सत्तारूढ़ भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा।
- इस पराजय के पीछे किसानों की नाराज़गी एक बड़ा कारण बनकर सामने आई।
- ऐसे में इस योजना में अंतरनिहित संदेश **कॉर्पोरेट क्लियर** है क्योंकि किसानों के लिये कुछ-न-कुछ ठोस करना सरकार की मजबूरी हो गई थी।
- वगित में संप्रग सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में किसानों का कर्ज़ माफ कर वाहवाही बटोरी थी और दोबारा सत्ता में वापसी की थी।

जो भी हो, लेकिन 71 साल की उपेक्षा के बाद खेतों में काम करने वाले भारतीय किसान के लिये 6000 रुपए की रकम अपर्याप्त है।

यदिगौर से देखा और विचारा जाए तो पता चलता है कि पिछिली और वर्तमान सरकारों का ज़ोर मुख्य रूप से कॉर्पोरेट कानूनों के पुनर्गठन, उद्योगों को भारी मात्रा में कर्ज़ देने, उद्योगों को सबसिडि प्रदान करने और विदेशी निवेश आकर्षित करने पर ही केंद्रित रहा है। सरकार को यह समझना होगा कि खेती-किसानी कोई कॉर्पोरेट पार्टी नहीं है कि जाम-से-जाम टकरा कर 'चीयर्स' बोला और मुद्दे हल हो गए। किसान जिस तरह हाड़ तोड़ श्रम करता है, उसी तरह उसकी समस्याओं को भी ज़मीनी धरातल पर उतर कर ही हल किया जा सकता है।

खेती का संकट ही वास्तविक है

- दो हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले किसान हर चार महीने में सरिफ़ 2,000 रुपए नहीं चाहते, जैसा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रावधान किया गया है।
- दरअसल, इतना पैसा तो उनके द्वारा करिए पर लिये गए ट्रैक्टर में डीज़ल भरने के लिये भी अपर्याप्त है।
- शासन व्यवस्था को यह सोचना, देखना और मानना होगा कि किसान अपनी उपज की उचित कीमत मांगते हैं तो वे कोई भीख नहीं माँग रहे होते।
- यहाँ ज़रूरत उन सवाल को हल करने की है, जिनकी वजह से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

इन सवालों में प्रमुख हैं...

- ◆ शासन व्यवस्था को यह तय करना होगा कलघु कसिान कौन है?
- ◆ बंटाईदार (साझेदारी में खेती करना) का क्या अर्थ है?
- ◆ करिाएदार कसिान कौन है?
- ◆ क्या ग्रामीण भारत में छोटी भूमरिखने कसिानों का रकिॉर्ड है?
- ◆ भूमि बंदोबस्त क्या है और क्यों अधकिांश राज्यों ने इसे नहीं अपनाया है?

ऐसे सवालॉ की फेहरसित बहुत लंबी है जसिको कसिान न जाने कब से सरकारों के सामने रखते आ रहे हैं, लेकनि उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई मज़बूत तंत्र आज भी मौजूद नहीं है ।

संतुलति मत: एक नए भारत की संकल्पना

यह नए भारत (New India) के नरिमाण का दौर है । इस न्यू इंडिया में कसिानों के लयि आधुनकि सचिाई सुवधिाओं, उत्तम बीज एवं आधुनकि तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, जो लागत कम करने तथा उनका सही मार्गदर्शन करने में मदद कर सके ।

- इसे **जैवकि खेती** के क्षेत्र में भी लागू करना चाहयि, लेकनि साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा किउपज की कीमतें बहुत अधकि न होने पाएं ।
- कृषिउत्पादों और गतविधिओं को पुखता कारोबारी आधार देने के लयि कसिानों को मज़बूत इनपुट ससि्टम और परविहन व्यवस्था की आवश्यकता है । इसके बाद उन्हें कसिी प्रकार का अनुदान न भी दिया जाए तो काम चलेगा ।
- यदावास्तव में कसिानों की मदद करनी है तो बाज़ारों में ग्रामीण बुनयिादी ढांचे का नरिमाण करना होगा ।
- साथ ही कम टैरफि शुल्क पर होने वाले आयातों के मद्देनज़र कसिानों को सुरक्षा प्रदान करने की भी ज़रूरत है ।
- प्रधानमंत्री कसिान सम्मान नधिा दो हेक्टेयर भूमिवाले कसिानों को सहायता के रूप में वार्षकि आय प्रदान करती है ।
- जनगणना और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार, भूमिहीन मजदूरों का भी एक बड़ा वर्ग है । शायद इसीलयि उन्हें भी इस सहायता योजना में शामिल करने की मांग की जा रही है ।

प्रधानमंत्री कसिान सम्मान नधिा योजना को चलाना एक बड़ी चुनौती

आर्थकि लागत की गणना करते समय Terminal Costs (कसिी चीज़ की वह कीमत जो उसके उपयोग की अंतिम अवस्था में होती है), GDP या कृषिGDP को लयिा जाता है, लेकनि ऐसी योजनाओं को लागू होने में समय लगता है । नःसिंदेह इस योजना के लयि पर्याप्त धन (**75 हज़ार करोड़ रुपए**) उपलब्ध कराया गया है, लेकनि इसके परीक्षण का कोई तरीका नहीं बताया गया है ।

वैसे अधकिांश राज्यों में ज़मीन के डजिटिलीकरण का काम शुरू कयिा जा चुका है और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में ज़मीन के रकिॉर्ड पहले ही डजिटिल कयिा जा चुके हैं । यही वज़ह है कि इस योजना को लागू करना मुश्कलि नहीं होगा । पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना को लागू करने में कुछ समय लग सकता है क्योंकिविहां भूमिका स्वामतिव समुदाय के आधार पर होता है । ऐसे में पूर्वोत्तर के लयि वैकल्पकि व्यवस्था वकिसति की जाएगी और केंद्रीय मंत्रयिों की एक समतिि से इसे मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र वकिास मंत्रालय इस योजना को लागू करेगा ।

अब देखना यह है कि इस माह के अंत तक इसका प्रथम चरण लागू होने के बाद कसि प्रकार की समस्याएँ सामने आती हैं और सरकार कसि प्रकार उनका समाधान करती है ।